भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3964

(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक करियर प्रगति

†3964. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री हरीभाई पटेल:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री नलिन सोरेन:
श्री अनन्त नायक:
श्री गोडम नागेश:

डॉ. संजय जायसवाल:
श्री जुगल किशोर:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
डॉ. भोला सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री आलोक शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को अल्पकालिक रोजगार प्रदान किए जाने के बजाय उनकी दीर्घकालिक करियर प्रगति आईआईआईटी से मिलने वाले रोजगार के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान क्या हैं और यदि हां, तो मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड के दुमका, हजारीबाग और रामगढ़ तथा बिहार के दरभंगा सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की नियुक्ति के बाद उनके निरंतर रोजगार, वेतन वृद्धि, करियर प्रगति और वेतन वृद्धि की निगरानी के लिए राज्य-वार और उक्त जिलों सहित जिला-वार क्या तंत्र स्थापित किया गया है;
(ग) उक्त योजना के आरंभ से लेकर विगत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत संचालित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच राज्य-वार और जिला-वार गुणवत्ता नियंत्रण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है;
(ङ) क्या दरभंगा जिले में व्यापक समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और क्या इस संबंध में पहुंच बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) इस संबंध में निर्धारित समावेशन प्रतिशत से भी आगे महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य-वार और उक्त जिलों सहित जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं;
(छ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत जारी, आवंटित, उपयोग की गई और लंबित निधि का राज्य-वार और उक्त जिलों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ज) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत प्रशिक्षण स्थानीय रोजगार के अवसरों और उद्योग की मांगों के अनुरूप हो?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ज): दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एक मानक आधारित परिणाम संचालित गुणवत्ता कौशल कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में योगदान देना है, जबकि देश के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना है। डीडीयू-जीकेवाई राज्य के नेतृत्व वाली योजना है जिसे पीपीपी मोड में लागू किया जा रहा है, जो मांग-संचालित लक्ष्य स्वीकृति प्रक्रिया पर आधारित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने और नियोजन के बाद ट्रैकिंग, प्रतिधारण और करियर की प्रगति की प्रदत्त प्रमुखता और प्रोत्साहन के माध्यम से स्थायी रोजगार पर जोर देने के कारण अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच एक अद्वितीय स्थान रखता है। गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए, डीडीयू-जीकेवाई प्रत्येक प्रशिक्षु के कौशल, ज्ञान और अभिवृत्ति का आकलन करने के लिए एनएसडीसी की सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) के माध्यम से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रमाणन को अनिवार्य करता है।

डीडीयू-जीकेवाई के तहत, दो विशेष घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात **रोशनी** कार्यक्रम में 9 राज्यों के 27 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू किया जा रहा है, जिसमें महिला उम्मीदवारों के 40 प्रतिशत कवरेज के साथ अनिवार्य आवासीय पाठ्यक्रम है, और हिमायत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र के सभी युवाओं को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ इस योजना के तहत कवर किया गया है।

डीडीयू-जीकेवाई के लिए लक्षित समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। हालांकि, महिला उम्मीदवारों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वासित बंधुआ मजदूर, मानव-तस्करी के पीड़ितों, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ट्रांसजेंडर, एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के साथ रहने वाले लोगों आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सहित प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है और

झारखंड के दुमका, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों और बिहार के दरभंगा जिले में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से वंचित समूहों सहित प्रशिक्षित और नियुक्त किए गए कुल उम्मीदवारों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं:

- नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम
- कार्यान्वयन का सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड
- अनिवार्य सामाजिक समावेशन: अ.जा./अ.ज.जा. (50%), महिलाएं (33%), पीडब्ल्यूडी (5%)
- न्यूनतम 70% नियोजन (न्यूनतम 50% मजदूरी रोजगार और अधिकतम 20% स्वरोजगार)
- नियोजित उम्मीदवारों को वेतन न्यूनतम मजदूरी या उससे अधिक के अनुसार दिया जाता है। नियोजित उम्मीदवारों को नियोजन के बाद सहायता और प्रतिधारण सहायता प्रदान की जाती है।

वित्त वर्ष 2018-19 से फरवरी 2026 तक प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का श्रेणी-वार (महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से वंचित समूहों सहित) और राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

इस कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को परियोजनाओं को मंजूरी देकर परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये पीआईए कोई भी इकाई हो सकती है, जो:

i. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन हैं,
ii. नीति आयोग के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है,
iii. भारतीय न्यास अधिनियमों या किसी राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या किसी भी राज्य सहकारी समितियों या बहु-राज्य सहकारी अधिनियमों या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008, या एसएचजी और उसके संघों अर्थात् क्लस्टर लेवल फेडरेशन/ब्लॉक लेवल फेडरेशन के तहत पंजीकृत है।
iv. स्टार्ट-अप आदि को छोड़कर तीन साल से अधिक पुरानी इकाई है।

डीडीयू-जीकेवाई एक मांग-संचालित योजना है; इसलिए, निधियां राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती हैं। हालांकि, स्थापना के बाद से, राज्यों को कुल 7442.53 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जैसा कि **अनुबंध-IV** में उल्लिखित है।

वर्तमान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 (डीडीयू-जीकेवाई 2.0) के तहत, प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 6 महीने का रोजगार हासिल करने पर अधिक जोर दिया गया है, साथ ही नौकरी सुनिश्चित करने के लिए 12 महीने के लिए ट्रैकिंग सहायता भी दी गई है। 6 महीने के लिए नियोजित उम्मीदवारों को ₹ 7620 (₹1270 प्रति माह) की राशि दी जाती है। 365 दिनों के लिए लगातार कार्यरत प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ₹5000 की दर से प्रतिधारण सहायता दी जाती है, जिसमें अधिकतम 60 दिनों का ब्रेक होता है। डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत नियोजन के 12 महीने बाद प्रशिक्षुओं के लिए कौशल उन्नयन और पुनःकौशलन के अवसरों का भी प्रावधान किया गया है।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को श्रम बाजार की उभरती कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के प्रयास किए जाते हैं। राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय अवसरों और रोजगार संभाव्यता की पहचान करने के लिए कौशल अंतर अध्ययन करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्यों/संघ- राज्य क्षेत्रों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को स्थानीय, घरेलू और वैश्विक रोजगार बाजारों के साथ संरेखित उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, पीआईए को प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए औचित्य और मांग मूल्यांकन प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण मांग-संचालित और उद्योग-प्रासंगिक बना रहे।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरंभ से लेकर फरवरी, 2026 तक राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों में डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संचयी कुल (फरवरी 2026 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	148742	120374
2	अरुणाचल प्रदेश	2799	1120
3	असम	86136	54494
4	बिहार	80518	48984
5	छत्तीसगढ़	59575	34711
6	गुजरात	32404	21139
7	हरियाणा	56073	41485
8	हिमाचल प्रदेश	20107	11711
9	जम्मू और कश्मीर	72734	45636
10	झारखंड	83299	44471
11	कर्नाटक	56911	37565
12	केरल	77086	47009
13	मध्य प्रदेश	93391	54840
14	महाराष्ट्र	71381	48265
15	मणिपुर	8203	4275
16	मेघालय	9070	5395
17	मिजोरम	3478	2135
18	नागालैंड	8185	5278
19	ओडिशा	218798	177933
20	पंजाब	55519	30109
21	राजस्थान	87409	47392
22	सिक्किम	3390	1961

23	तमिलनाडु	80214	76171
24	तेलंगाना	75401	54263
25	त्रिपुरा	13221	7970
26	उत्तर प्रदेश	254857	108473
27	उत्तराखंड	25696	16218
28	पश्चिम बंगाल	45336	30950
29	पुदुचेरी	3214	2004
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1037	570
	कुल	**1834184**	**1182901**

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

झारखंड के दुमका, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों और बिहार के दरभंगा जिले में डीडीयू-जीकेवाई के तहत आरंभ से लेकर फरवरी 2026 तक कुल प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का ब्यौरा

जिला	कुल प्रशिक्षित	कुल नियोजित
दुमका	3216	1947
हजारीबाग	6477	3594
रामगढ़	3891	2425
दरभंगा	2334	1254

स्रोत: बिहार और झारखंड राज्य

वित्त वर्ष 2018-19 से फरवरी 2026 तक झारखंड के दुमका, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों और बिहार के दरभंगा जिले में डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित किए गए श्रेणी-वार उम्मीदवारों का ब्यौरा:

जिला	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित अ.जा.	नियोजित अ.जा.	प्रशिक्षित अ.ज.जा.	नियोजित अ.ज.जा.	प्रशिक्षित अल्पसंख्यक	नियोजित अल्पसंख्यक	प्रशिक्षित पीडब्ल्यूडी	नियोजित पीडब्ल्यूडी
दुमका	1467	1028	235	164	1041	682	282	189	8	4
हजारीबाग	4501	2647	1893	1153	1597	984	504	271	17	9
रामगढ़	1992	1326	503	317	1422	984	250	169	4	4
दरभंगा	816	492	499	303	6	4	195	118	1	0

स्रोत: बिहार और झारखंड राज्य

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्त वर्ष 2018-19 से फरवरी 2026 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों को श्रेणी-वार और राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र. सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं	प्रशिक्षित अ.जा.	नियोजित अ.जा.	प्रशिक्षित अ.ज.जा.	नियोजित अ.ज.जा.	प्रशिक्षित अल्पसंख्यक	नियोजित अल्पसंख्यक	प्रशिक्षित पीडब्ल्यूडी	नियोजित पीडब्ल्यूडी
1	आंध्र प्रदेश	52013	36842	37898	29419	13419	9408	14016	13767	902	302
2	अरुणाचल प्रदेश	1835	710	10	2	2904	1118	755	355	2	2
3	असम	41290	27489	3576	2765	10628	7563	15296	9534	137	51
4	बिहार	29610	17878	17376	11144	3135	1939	5749	3175	371	76
5	छत्तीसगढ़	25999	16487	7438	5322	16769	11860	1380	719	80	29
6	गुजरात	12252	7732	4125	2703	8944	5558	1434	846	285	75
7	हरियाणा	15276	11337	17966	15623	35	35	3717	1844	53	34
8	हिमाचल प्रदेश	12001	7129	7412	4624	1398	826	262	158	123	58
9	जम्मू और कश्मीर	13888	4857	2157	623	1157	432	14858	5176	53	18
10	झारखंड	44711	25119	11780	7282	27221	16715	7524	4035	177	69
11	कर्नाटक	14904	11469	9105	8179	3554	2969	2426	1879	605	493
12	केरल	25461	17802	12647	8545	3115	1936	25187	15682	689	192
13	मध्य प्रदेश	38954	26947	19519	14141	21916	14459	2602	1345	182	119
14	महाराष्ट्र	31274	18020	19250	12037	16410	9332	11053	6206	461	116

15	मणिपुर	5182	2690	449	274	2667	1321	2862	1382	14	6
16	मेघालय	5998	3777	27	14	7949	4694	6125	3501	69	9
17	मिजोरम	2121	1255	10	6	3492	2113	2980	1672	12	6
18	नागालैंड	3925	2418	26	11	8241	5269	7596	4404	4	1
19	ओडिशा	79743	56058	33411	23366	43497	33595	4447	2892	1191	380
20	पंजाब	30242	16510	30558	17867	101	41	31687	17905	299	80
21	राजस्थान	31653	16803	17260	9456	13696	7578	4848	2243	715	169
22	सिक्किम	1850	1034	159	96	668	337	512	282	3	1
23	तमिलनाडु	34167	20253	34779	20633	1698	974	7262	4185	357	173
24	तेलंगाना	22945	12294	19424	12400	7658	4989	4242	1463	444	316
25	त्रिपुरा	4450	2734	1219	956	4044	2799	1326	858	47	21
26	उत्तर प्रदेश	95158	51870	78715	43226	2089	1190	23105	11570	576	258
27	उत्तराखंड	15867	10423	11682	7649	2562	1667	3088	1910	1088	527
28	पश्चिम बंगाल	15297	9922	14309	10537	6435	4368	7635	4725	273	93
29	पुदुचेरी	2116	1345	1811	1139	20	12	425	224	10	6
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	475	263	2	2	155	143	348	238	7	1
कुल		**710657**	**439467**	**414100**	**270041**	**235577**	**155240**	**214747**	**124175**	**9229**	**3681**

स्रोत: कौशल प्रगति और कौशल भारत पोर्टल

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

स्थापना से लेकर फरवरी 2026 तक डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि:

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई संचयी निधि (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	876.00
2	आंध्र प्रदेश	44756.79
3	अरुणाचल प्रदेश	4092.06
4	असम	47896.84
5	बिहार	36708.00
6	छत्तीसगढ़	25057.11
7	गोवा	279.00
8	गुजरात	10125.70
9	हरियाणा	12355.26
10	हिमाचल प्रदेश	17157.89
11	जम्मू और कश्मीर	49131.98
12	झारखंड	29550.18
13	कर्नाटक	17499.23
14	केरल	40237.06
15	मध्य प्रदेश	34399.93
16	महाराष्ट्र	36856.73
17	मणिपुर	8216.94
18	मेघालय	9022.01
19	मिजोरम	3686.59
20	नागालैंड	8103.01
21	ओडिशा	68510.82
22	पुदुचेरी	2071.65
23	पंजाब	18637.12

24	राजस्थान	24456.80
25	सिक्किम	3535.68
26	तमिलनाडु	29559.11
27	तेलंगाना	33902.20
28	त्रिपुरा	8519.49
29	उत्तर प्रदेश	73527.44
30	उत्तराखंड	20201.14
31	पश्चिम बंगाल	25323.30
	कुल	**744253.03**

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग के रिकॉर्ड
